न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

करण सं0 : 248/2022

नवान :

1. सुमन देवी पत्नी स्व0 रामपत राम जाति यादव निवासी जाटान तहसील भादरा।
2. दिव्या
3. तनिशा
4. लक्ष्मी
5. काफी

} पुत्रियान स्व0 रामपत राम हर चारों नाबालिगान जरिऐ वली कुदरती माता सुमन देवी पत्नी स्व0 रामपत राम जाति यादव निवासी जाटान तहसील भादरा

:— **वादीगण**

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र दुर्जा उर्फ दुरजाराम जाति यादव निवासी जाटान तहसील भादरा।
2. रघुवीर सिंह पुत्र रामचन्द्र जाति यादव निवासी जाटान तहसील भादरा।
3. लक्ष्मण कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति यादव निवासी जाटान तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र मोठसरा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री प्रहलाद राय चोटिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 148/147 के खसरा सं0 127 की 2.6940है0, ख0सं0 127/1 की 2.6930है0, ख0सं0 152 की 1.9350है0 कुल 7.3220है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र अकेले की बजाए वादी सं0 1 सुमन देवी, वादी सं0 2 दिव्या, वादी सं0 3 तनिशा, वादी सं0 4 लक्ष्मी, वादी सं0 5 काफी को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 रघुवीर सिंह को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 लक्ष्मण कुमार को 1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़